

each with date

दिनांक

पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश

अभियुक्ति

२०१०१७

वाद की समय सीमा समाप्त।
किसी प्रकार के अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अंतिम निष्पादन हेतु अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत भेजें।




२११११७
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

१११११७

अभिलेख उपस्थापित।
वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी ...अप्रिय... से प्राप्त प्रतिवेदन/आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई थी। वाद की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने एवं किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना भी प्राप्त नहीं होने के कारण वाद की कार्यवाही यथास्थिति समाप्त की जाती है।



सदस्य- 1
लो०अ०, गढ़वा



सदस्य- 2
लो०अ०, गढ़वा



सदस्य- 3
लो०अ०, गढ़वा

